कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश::–

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते है–

क्र०सं०	नाम कार्मिक	विषय	कंहा से (राउमावि)	जिला	कंहा को (राउमावि)	जिला
1	गरिमा मालोत	रसायन विज्ञान	बडगांव, बांसवाडा	BANSWARA	कपूडा गढी	BANSWARA
2	मुरलीधर जोशी	रसायन विज्ञान	राउमावि नागणा फांटा	BADMER	समदडी	BADMER
3	सुखवीर कौर	गृह विज्ञान	बालिका बनीपार्क जयपुर	JAIPUR	नत्थूसर बास	BIKANER
4	सुरेश रावल	रसायन विज्ञान	राउमावि जालोर	JALOR	हाडेचा जालोर	JALOR
5	किश्वर रिजवी	रसायन विज्ञान	राउमावि मोरपा सुल्तानपुरा	KOTA	बालिका सुकेत	KOTA
6	पुरूषोत्तम लाल स्वामी	जीवविज्ञान	नागवा धोद, सीकर	SIKAR	कल्याण सीकर	SIKAR
7	ललित कुमार कोठारी	जीवविज्ञान	राउमावि, नाथद्वारा	RAJSAMAND	कोयल कुम्भलगढ	RAJSAMAND
8	वंदना कटारिया	जीवविज्ञान	कोयल कुम्भलगढ	RAJSAMAND	राउमावि, नाथद्वारा	RAJSAMAND
9	अंजना कोठारी	जीवविज्ञान	चिकला ऋषभदेव, उदयपुर	UDAIPUR	नउवा मावली, उदयपुर	UDAIPUR

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 07.06.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 7 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें एवं निदेशालय को सूचित किया जावें। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/दिव्यांग कार्मिक के विरूद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें अन्यथा प्रभारी संस्था प्रधान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। पद विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उप निदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतिक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/स्थानान्तरण/रजीगृह/2018 दिनांक– 02/06/18

प्रतिलिपिः–प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर

2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

3 सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक. . . .

4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक. . .

5 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दपर्ण को तत्काल अद्यतन करावें।

6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु

7 सम्बन्धित कार्मिक

8 रक्षित पत्रावली

www.rajteachers.com

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर